तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/3/25	पत्रावली वास्ते आदेश 07R11 प्रस्तुत हुई। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 89, 188 RTA प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि. - ग्राम भीमपुरा में ख.न. 230, 231, 234, 242, 649, 674, 675, 684, 685, 646 आराजी भंवरसिंह के खाते की आराजी थी, जो भंवरसिंह की मृत्यु उपरान्त उनके तीन पुत्रों चैनसिंह, रघुनाथसिंह एवं किशनसिंह के शामलाती खाते में चली आ रही है। - वादिनी द्वारा निवेदन किया गया है कि उसके पिता की मृत्यु उपरान्त प्रतिवादीगण उक्त शामलाती कृषि भूमि का बँटवारा किये बिना कृषि करने में विवाद पैदा कर रहे हैं। - प्रतिवादीगण द्वारा वादिनी के कब्जे की आराजी पर जबरन कब्जा कर मलवा डाल दिया गया है। - वादिनी की माता द्वारा भी बँटवारे	

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी ...
	का वाद पूर्व में प्रस्तुत किया गया था, जो एक ओटवाखड़ी पूर्वक राजीनामा आलेखित करवाकर नोटप्रेस में खारिज करवा दिया गया।	
	प्रार्थना- उक्त आधार पर वादिनी द्वारा निवेदन किया गया है कि हालगत विवादित आराजी में वादिनी का 1/3 हिस्सा भूमि का नियमानुसार मौके पर बाउन्ड्री से विभाजन किया जाकर उपरोक्त भूमि वादिनी के पृथक खाते दर्ज किया जावे तदानुसार पृथक खाता व लगान कायम किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त आराजी को विधिवत विभाजन करवाये बिना बेचान नहीं करें वादिनी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें।	
	Ⓐ वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।	
	Ⓐ प्रतिवादी नम्बर ① व ② द्वारा प्रार्थनापत्र	

उपखण्ड अधिकारी
को ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

अन्तर्गत O 7 R 11 सपठित धारा 151 CPC प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि -

- वादपत्र में वर्णित आराजी ग्राम भीमपुरा ख.न. 230, 231, 234, 241, 242, 649, 674, 675, 684, 685, 686 भंवर सिंह की खातेदारी में दर्ज थी।
- भंवर सिंह के निधन के उपरान्त विवादित आराजी भंवरसिंह के तीन पुत्रों मदन सिंह, हनुमान सिंह, गुमान सिंह के संयुक्त खातेदारी में दर्ज हुई। उसके पश्चात फौती नामान्तरकरण प्रार्थीया व अप्रार्थी क्र. ① व ② की खातेदारी में अपने-अपने हिस्से अनुसार दर्ज हो गई।
- वर्तमान में प्रार्थीया के द्वारा उक्त भूमि में प्राप्त हिस्से का बेचान किया जा चुका है और बेचान के पश्चात क्रेतागण बतौर खातेदार दर्ज चले आ रहे हैं। उक्त भूमि में प्रार्थीया का कोई भी हक हिस्सा निहित नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
को. ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व अहकाम हुक्म की तामील में जारी हुए
	- वादिनी के द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र को दीवानी न्यायालय से निरस्त करवाये बिना वाद वर्णित आराजी के सम्बन्ध में वादिनी इस न्यायालय से कोई भी सहायता प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। - वादिनी द्वारा पूर्व में भी इस न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसे वादिनी के द्वारा एल विड्रो खारिज करवा लिया गया, अतः वादिनी पुनः इसी Nature का वाद प्रस्तुत करने हेतु बाध्य नहीं है। प्रार्थना - उक्त तथ्यों के आधार पर वादिनी का वाद अन्तर्गत 07 R11 CPC के तहत खारिज किया जावे। A वादिनी द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 07 R11 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि - - प्रतिवादीगण द्वारा इस बात का कोई कथन नहीं किया है कि किस आधार पर वाद को खारिज किया जाना चाहिए।	

लिपिक अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

- प्रार्थीया पिता के जीवनकाल से ही मौखिक विभाजन अनुसार कब्जा काश्त चली आ रही है। प्रतिवादीगण द्वारा जोरदवे से उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लिया गया है।
- उक्त प्रार्थनापत्र केवल मामले को विलम्बित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज किया जावे।

* बहस वकुलाय फरीकैन सुनी गई।
* विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि ख.नं. 230, 231, 234, 241, 242, 649, 684, 685 व 686 में वादिनी द्वारा अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दिया गया है, विक्रय पत्र का इन्तकाल भी दर्ज हो चुका है तथा उक्त खसरा नम्बरान पर वादिनी के स्थान पर क्रेतागण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है. खसरा नं. 674, 675 में भी वादिनी द्वारा अपने हिस्से का रजिस्टर्ड बेचान किया जा

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	चुका है, केवल विक्रय पत्र का इन्तकाल अब तक दर्ज ना होने के कारण राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम आ रहा है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा जमाबन्दी की प्रतियाँ तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि जब वादिनी वाद पत्र में वर्णित किसी भी खसरा नम्बर की खातेदार ही नहीं है, तो उक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध धारा 53 व 88 में कोई वाद कारण ही उत्पन्न नहीं होता। विद्वान अभिभाषक वादिनी द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि वादिनी ख.नं. 230, 231, 234, 241, 242, 649, 684, 685 व 686 में खातेदार नहीं है, साथ ही प्रस्तुत विक्रय पत्र से यह भी प्रमाणित होता है कि वादिनी द्वारा ख.नं. 674 व 675 में से भी अपने हिस्से का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया जा चुका है।	

उपखण्ड अधिकारी
को.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	* उक्त परिस्थितियों में हम विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण की इस राय से पूर्णतया सहमत है कि वादिनी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं है. हमारे विनम्र मत में वाद ग्रस्त सम्पत्ति खसरा नम्बरान में से अपना हिस्सा बेचान कर देने के उपरान्त वादिनी द्वारा इस न्यायालय में यह वाद प्रस्तुत करना न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का प्रमाणित उदाहरण है। * उक्त परिस्थितियों में जबकि यह प्रमाणित है कि वादिनी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं है हम प्रतिवादी क्रम ① व ② द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 07 R11 स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते हैं। * अतः प्रतिवादी क्रम ① व ② द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 07 R11 सपठित धारा 151 CPC स्वीकार किया जाकर वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा	

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	53, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।
	* डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।
	* पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	21/03/25